उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 880–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2021–20/2009 टी0सी0– ।। दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व)/(पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व)/
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य)/(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम)/
(पारे0प0)/(पारे0म0)/(संचार एवं नियंत्रण)/
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)/(सी0एम0यू0टी0)/
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई)/(नियोजन)/
(जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय)/
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

ई–मेल

विषयः उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, द्वारा अपनी माँगो के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण आन्दोलन की नोटिस।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त पत्र संख्या–2884–औ0सं0/2021–4ए/83, दिनांक 27.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के पत्र संख्या–ए0एस0/संगठन/2020–2022/169 दिनांक 19.09.2021 के माध्यम से अपनी माँगों/समस्याओं का निराकरण न होने के दृष्टिगत ध्यानाकर्षण आन्दोलन का नोटिस दिया है जो निम्नवत् है :–

- 04 व 05 अक्टूबर को सभी अभियन्ता पूरे दिन दायें बाजू पर काली पट्टी बांधेगे और सायं 05 बजे सभी जनपदों/परियोजनाओं व राजधानी लखनऊ में विरोध सभा की जायेगी।

- 05, 07 एवं 08 अक्टूबर को सायं 04 बजे से सायं 05 बजे तक एक घण्टा कार्य बहिष्कार व विरोध सभा की जायेगी (उत्पादन गृहों 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।

- 11, 12 एवं 13 अक्टूबर को सांय 03 बजे से सांय 05 बजे तक दो घण्टे कार्य बहिष्कार व विरोध सभा की जायेगी (उत्पादन गृहों 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।

- 18 अक्टूबर से सभी अभियन्ता नियमानुसार कार्य करेंगे। नियमानुसार 18, 19 21, 22, 23 अक्टूबर को अपरान्ह 02 बजे से सायं 05 बजे तक सभी अभियन्ता तीन घण्टा कार्य बहिष्कार व विरोध सभा करेंगे (बिजली उत्पादन गृहों, 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।

- 26 अक्टूबर से सभी अभियन्ता अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार प्रारम्भ कर देंगे (बिजली उत्पादन गृहों, 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।

आप विदित हैं कि उ0प्र0 शासन ने "उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966" के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–650/24–पी–2–2021–1(121)/04 दिनांक 03.07.2021 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है। ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन/क्रमिक अनशन/कार्य बहिष्कार आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929 औ0सं0/17/पाकालि/2001–3–ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के द्वारा दिनांक 04.10.2021 से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार आन्दोलन नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

उपुर्यक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों का भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या : 880–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि/2021 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-2884-औ0सं0/2021-4ए/83 पंजी0 सं0 880-पारे0अनु0-04/पाट्राकालि/2021 दिनांक 27 सितम्बर, 2021

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

ई- मेल (आन्दोलन नोटिस)
अति-आवश्यक/तत्काल कार्यवाही

विषयः-उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, द्वारा अपनी माँगो के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण आन्दोलन की नोटिस।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के पत्र सं0-ए0एस0/संगठन/2020-2022/169 दिनांक 19.09.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपनी माँगों/समस्याओं का निराकरण न होने के दृष्टिगत ध्यानाकर्षण आन्दोलन का नोटिस दिया है जो निम्नवत् है :-

- 04 व 05 अक्टूबर को सभी अभियन्ता पूरे दिन दायें बाजू पर काली पट्टी बांधेगे और सांय 05 बजे सभी जनपदों/परियोजनाओं व राजधानी लखनऊ में विरोध सभा की जायेगी।
- 05, 07 एवं 08 अक्टूबर को सांय 04 बजे से सांय 05 बजे तक एक घण्टा कार्य बहिष्कार व विरोध सभा की जायेगी (उत्पादन गृहों 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।
- 11, 12 एवं 13 अक्टूबर को सांय 03 बजे से सांय 05 बजे तक दो घण्टे कार्य बहिष्कार व विरोध सभा की जायेगी (उत्पादन गृहों 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।
- 18 अक्टूबर से सभी अभियन्ता नियमापुरसार कार्य करेंगे। नियामनुसार 18, 19 21, 22, 23 अक्टूबर को अपरान्ह 02 बजे से सांय 05 बजे तक सभी अभियन्ता तीन घण्टा कार्य बहिष्कार व विरोध सभा करेंगे (बिजली उत्पादन गृहों, 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।
- 26 अक्टूबर से सभी अभियन्ता अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार प्रारम्भ कर देंगे (बिजली उत्पादन गृहों, 765/400 के0वी0 पारेषण व सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत अभियन्ताओं को छोड़ कर)।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने "उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम-1966" के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या-650/24-पी-2-2021-1(121)/04 दिनांक 03.07.2021 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या-2003-औ0सं0-17/पाकालि/2021-159-ए/87 दिनांक 17.07.2021 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन/क्रमिक अनशन/कार्य बहिष्कार आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ0सं0/17/पाकालि/2001- 3-ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के द्वारा दिनांक 04.10.2021 से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार आन्दोलन नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला-प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–2884–(1)–औ0सं0/2021 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (वित्त)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वाणिज्य)/(वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल–वाराणसी/पश्चिमांचल–मेरठ/मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा एवं केस्को कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0।
8. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को आन्दोलन अभियन्ता संघ के आन्दोलन की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
10. मुख्य अभियन्ता (जानपद), 9वाँ तल, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को संघ के सं0–ए0एस0/संगठन/2020–2022/169 दिनांक 19.09.2021 की प्रति आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
11. महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

Dir. (P&A)

प्रबन्ध निदेशक
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०

J.S. (T-I)

29.9.21
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)
उ0 प्र0 पा0 ट्रा0 का0 लि0

DS (T-III)

US (OW) / SO (OW)

SO (OW)

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), ट्रांस्को MD PTCL No. 3140 Date 27/09/2021
प्राप्ति 30/09/2021

27/8/21

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषदाज्ञा संख्या – 1576–फ/रा0वि0प0(ए)/67
दिनांक 12.04.1972 के तहत मान्यता प्राप्त (पंजीकरण संख्या 1636 दिनांक 31 दिसम्बर, 1970)
हाईडिल फील्ड हॉस्टल–17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001
फैक्स 0522–2205417, 4079628, 7065181170(महासचिव) asgeneralsecretary@gmail.com

पत्रांक : ए एस –/संगठन /2020–22/161 6873/GCM/2021 24/08/2021 दिनांक : 16.08.2021

सेवा में,

अध्यक्ष,
उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0,
लखनऊ।

MD, PCL ... (M. Devaraj) Chairman 24

विषय : अभियंताओं की विभिन्न समस्याओं के सार्थक निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों में कार्यरत अभियंता तमाम विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए विभागीय कार्यों का सुचारू रूप से सफल सम्पादन कर रहे हैं साथ ही यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि अभियन्ताओं द्वारा माह जून 2021 में 25000 मे0वा0 से अधिक विद्युत का सफल पारेषण व वितरण किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कोविड–19 की दूसरी लहर में प्रदेश के समस्त अस्पतालों तथा ऑक्सीजन प्लांटों को अभियन्ताओं द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की गयी।

2. तमाम विपरीत परिस्थिति तथा मैन, मेटीरियल एवं मनी की भीषण कमी, वर्ष 2020–21 में बिजनेस प्लान का अप्रूवल न होने के पश्चात् भी अभियन्ताओं ने प्रदेश को सीमित संसाधनों में मुख्य मंत्री जी के मंत्र 'सबको बिजली, हरदम बिजली' के अनुपालन में प्रदेशवासियों को बेहतर बिजली उपलब्ध करायी गयी। अत्यन्त ही दुख के साथ आपको अवगत कराना है कि अभियन्ताओं की ज्वलन्त समस्याओं का प्रबन्धन द्वारा सार्थक निराकरण नहीं किया गया जबकि समय–समय पर पत्र के माध्यम से एवं आपसे मिलकर अभियन्ताओं की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है।

3. दिनांक 05.08.2021 को अभियन्ता संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी की सम्पन्न बैठक में अभियन्ताओं द्वारा क्षेत्रों में कार्य करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों एवं अन्य तमाम लम्बित समस्याओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में अभियन्ताओं की लम्बित समस्याओं की ओर आपका निम्नवत ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ :–

64-1/MDU/2021 25/08/2021

i) सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी लि0(UPSEB Ltd.) का पुनर्गठन किया जाये। जल विद्युत निगम एवं उत्पादन निगम के मर्जर की प्रक्रियाधीन कार्यवाही में तेजी लाई जाये।

ii) वर्ष 2000 के बाद नियुक्त सभी अभियन्ताओं के लिये पुरानी पेन्शन की व्यवस्था लागू की जाये।

iii) ग्रेटर नोएडा के निजीकरण व आगरा के फ्रेन्चाईजीकरण के करार रद्द किये जायें।

iv) विगत में हुए समझौतों का अनुपालन किया जाये।दिनाक 6अक्टूबर,2020 को कैबिनेट उपसमिति के साथ हुये समझौते का पालन करते हुये माह सितम्बर/अक्टूबर 2020 मे वाराणसी,प्रयागराज व अन्य शहरो में अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 वापस करायी जाये

v) पदोन्नति नियमों/मापदण्डों में किये गये प्रतिगामी परिवर्तन वापस लिये जाये तथा पावर कारपोरेशन में मुख्य अभियन्ता(स्तर–1) के साथ–साथ सभी रिक्त पदों पर पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत ही पदोन्नतियां की जायें।

vi) विभिन्न वेतन विसंगतियां दूर की जायें :–

Dir (PSM)

- कारपोरेशन के दिनांक 03.11.2008 के आदेश का पालन करते हुए वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 में पदोन्नति पद के वेतनमान प्रदान करते हुए अभियन्ता संवर्ग हेतु द्वितीय ए0सी0पी0 पर अधीक्षण अभियन्ता पद के सादृश ग्रेड–पे 8900(मैट्रिक्स लेवल–13) तथा तृतीय ए0सी0पी0 पर मुख्य अभियन्ता पद के सादृश ग्रेड पे 10000(मैट्रिक्स लेवल–14) प्रदान किया जाये।
- पूर्व की तरह सहायक अभियन्ता पद के वेतनमान में 05 प्रारम्भिक वेतनवृद्धियां, अधिशासी अभियन्ता पद के वेतनमान 03 प्रारम्भिक वेतनवृद्धियां, अधीक्षण अभियन्ता पद के वेतनमान में 02 प्रारम्भिक वेतनवद्धियां और मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) के वेतनमान में 01 प्रारम्भिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाये।
- 01.01.1996 से 14.02.2007 के बीच अवर अभियन्ता संवर्ग को समयबद्ध वेतनमान में अधिशासी अभियन्ता (विशेष श्रेणी) का वेतनमान समाप्त कर अधीक्षण अभियन्ता का वेतनमान प्रदान किया गया है। इसी तरह अभियन्ता संवर्ग के समयबद्ध वेतनमान में भी अधिशासी अभियन्ता(विशेष श्रेणी) का वेतनमान समाप्त करते हुए अधीक्षण अभियन्ता का द्वितीय समयबद्ध वेतनमान किया जाये।

24.8.21
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0पा0का0लि0

GM(IR)

- सातवें वेतनमान के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण में 2008 बैच के अभियन्ताओं की अपने ही बैच के कनिष्ठ अभियन्ताओं से वेतन विसंगति दूर की जाये। इसी तरह वर्ष 1999 में नियुक्त वरिष्ठ अभियन्ताओं की द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्यता के पश्चात् अपने ही बैच के कनिष्ठ अभियन्ताओं से उत्पन्न हुई वेतन विसंगति दूर की जाये।
- 7वें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्ष 2014 एवं 2015 में नियुक्त अभियन्ताओं की 2016 में नियुक्त अभियन्ताओं से उत्पन्न वेतन विसंगति दूर की जाये।

vii) क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अभियन्ताओं को छोटी–छोटी बातों/अल्प अवधि की ट्रिपिंग पर आरोप पत्र निर्गत किये गये हैं जो विद्युत सप्लाई कोड के विपरीत हैं। इन्हें तत्काल निरस्त किया जाये ताकि अभियन्ता बिना किसी भय के अपने कार्यों को पूर्ण मनोयोग से सम्पादित कर सकें।

viii) उत्पादन निगम में ई0 एण्ड एम0 के 2008 बैच के एवं सिविल के 2011 बैच के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नतियां अतिशीघ्र की जायें।

ix) उत्पादन निगम में अप्रैल,2020 से लम्बित उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान किया जाये तथा अन्य भत्तों का पुनरीक्षण अतिशीघ्र किया जाये।

x) ऊर्जा निगमों के विस्तार के दृष्टिगत सभी निगमों में नये पदों का सृजन किया जाये एवं वर्तमान में रिक्त पदों पर भर्तियां की जाये।

xi) अभियन्ताओं को सुरक्षा की गारण्टी दी जाये एवं उनके संरक्षण हेतु 'इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट' अतिशीघ्र लागू किया जाये।

xii) पा0का0लि0 में लागू किये गये ई0आर0पी0 की व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करते हुए इसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाये। प्रथम चरण में ई0आर0पी0 के एच0आर0 मॉड्यूल को एक्टिवेट किया जाये। इसी तरह पारेषण में लागू किये जा रहे ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में अभियन्ताओं के वित्तीय अधिकार कमतर करते हुए केन्द्रीकृत भुगतान के नाम पर लेखा संवर्ग को दिये जा रहे हैं। यह अभियन्ता संवर्ग को प्राप्त अधिकारों का हनन है। इसे पूर्व की भांति खण्डीय कार्यालय/अधिशासी अभियन्ता को ही दिया जाये।

xiii) लम्बित जांच प्रकरणों, जो लम्बे समय से चल रही हैं एवं भविष्य में भी लम्बे समय तक चलने की सम्भावना है, से प्रभावित अभियन्ताओं की पदोन्नतियां न रोक कर उनकी सशर्त पदोन्नतियां की जायें।

xiv) पूर्व में अन्य डिस्कॉम में स्थानांतरित किये गये अभियन्ताओं, जिन्हें 02 वर्ष हो चुके हैं, को उनके पूर्व के डिस्कॉम में वापस स्थानांतरित किया जाए।

4. अत्यन्त खेद का विषय कि पावर कारपोरेशन प्रबन्धन के साथ विभिन्न वार्ताओं एवं पत्रों के माध्यम से अवगत कराने के पश्चात् भी अभियन्ताओं का उत्पीड़न जारी है। ऊर्जा निगमों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय अनावश्यक तौर पर अभियन्ताओं को दण्ड देकर हतोत्साहित करने का क्रम जारी है जिससे अभियन्ताओं के प्रशासनिक, तकनीकी क्षमताओं व उनके निजी जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है एवं अभियन्ताओं में भारी रोष व्याप्त है।

5. अतः आपसे मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त न्यायोचित मांगो का तत्काल समाधान कराने एवं समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां निरस्त कराने की कृपा करें जिससे कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत समस्त अभियन्ता भयमुक्त एवं स्वस्थ वातावरण में प्रदेश के उपभोक्ताओं को अहर्निष सेवा प्रदान करते रहें।

6. मुझे आपको यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि यदि शीघ्र उक्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां निरस्त न की गयीं और न्यायोचित समस्याओं का द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सार्थक समाधान न किया गया तो उ0प्र0 के बिजली अभियन्ता न्याय पाने हेतु लोकतांत्रिक ध्यानाकर्षण आन्दोलन कार्यक्रम घोषित करने हेतु बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी।

सादर,

भवदीय,

प्रभात सिंह

(प्रभात सिंह)
महासचिव

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

(प्रभात सिंह)
महासचिव

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव(ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(प्रभात सिंह)
महासचिव